MR. CHAIRMAN: I shall now put all the other amendments of Shri Ramavatar Shastri, Shri Madhukar and Shri Indrajit Gupta to the vote of the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA: You have not asked whether I am withdrawing the amendments or not.

MR. CHAIRMAN: Would you like to withdraw your amendments?

SHRI INDRAJIT GUPTA: How can I withdraw my amendments? He replied to one of my points. He has never replied to the question about the time limit for the investigation. He never replied about the extension of time from three to five years. How can I withdraw the amendments?

MR. CHAIRMAN: So, I shall put all the amendments together to the vote of the House.

*Amendments Nos. 2 to 8 were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

---

**17.30 hrs.**

## WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Mr. Chairman, Sir, I beg to move,*

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

Hon. Members are aware that the Workmen's Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to workmen and their families in case of industrial accidents and of certain occupational diseases resulting in death or disablement arising out of and in the course of emploment. The Act at present applies to certain categories of railway employees and persons drawing monthly wages not exceeding Rs. 500/- per month and employees in certain employment of hazardous nature as specified in Schedule II to the Act. Schedule II includes persons employed in factories, mines, plantations, mechanically propelled vehicles, construction works, etc. The State Governments are empowered to make addition to Schedule II as and when necessary.

With the extension of the coverage of the Employees' State Insurance Scheme the liability for payment of compensation for industrial accidents and occupational diseases is being gradually transferred from the employers to the Employees' State Insurance Corporation. However, the extension of the E.S.I. scheme to all the factories and establishments will take time. The Workmen's Compensation Act, 1923 would, therefore, continue to be in operation. Hence, the need is felt for effecting certain important changes in the Act.

The Act was last amended in 1962. Since then, a number of proposals for amendment of the Act arising from

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Raghunatha Reddy]

recommendations of the National Commission on Labour, the Labour Laws Review Committee set up by the Government of Gujarat and the Law Commission of India are under consideration. These proposals will require a comprehensive amendment Bill. Meanwhile, I am placing before you for enactment a few proposals of an urgent nature.

As mentioned earlier, the coverage under the Act is at present restricted to the Workmen drawing wages not exceeding Rs. 500/- per month. This ceiling is considered to be very low in the context of the current wage levels both in private and public sectors. Requests for enhancement of the wage limit for coverage under the Act are being received. It is accordingly proposed to increase the wage limit for coverage of workmen under the Act from Rs. 500/- to Rs. 1,000/- per month, which will be at par with the wage limit for coverage under the Employees' State Insurance Act, 1948, Employees' Provident Fund Act and the Payment of Gratuity Act, 1972.

With the revision of wage limit for coverage under the Act, the existing rates of compensation as provided under Schedule IV of the Act also needs an upward revision This would necessitate the prescription of suitable rates of compensation for workmen drawing wages between Rs. 500/- to Rs. 1,000/- per month, being covered for the first time. The proposed revised rates of compensation for death has been worked out in multiples of monthly salary, the multiples coming down from 120 in the case of lowest paid to 30 in the case those in the highest wage group. Thus, the proposed rates of compensation in the lowest wage group represents 10 years wages and those in the highest wage group two and a half years. This gives an increase ranging from 62 per cent to 140 per cent to those who are already covered by the Act i.e. those drawing wages upto Rs. 500/- p.m. A higher compensation has thus been provided in the lower wage groups. The proposed rates of compensation for permanent total disablement are 40 per cent higher than those for death. The rates of half monthly payments for temporary disablement are also being suitably revised by providing higher percentage of the monthly wages as compensation to workers in the lower wage scales. Having regard to some accidents which occurred in 1975, it is proposed to give retrospective effect to the provisions of the amending Bill with effect from 1st October, 1975.

When this Bill was being considered in Rajya Sabha, several suggestions were made for securing more effective enforcement of the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923. These suggestions will be kept in view and everything possible will be done to see that the provisions of the Act are effectively enforced.

I now commend the Bill for the consideraation of the House. As you see, this is a very non-controversial piece of legislation conferring rights for providing higher compensation on the various categories of workmen. I do hope that this Bill will be passed unanimously, even without discussion.

MR CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

**श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) :** चेयरमैन साहब मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी उठाने के बजाय इस बिल को सदन को पास करना चाहिये । यह ठीक बात है कोई जवाब नहीं है कि यह बिल पास न हो । मगर दुख है कि लेबर मिनिस्ट्री ने ई० एस० आई० और प्रोवीडेंट फंड को इनक्रीज किया मगर जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है इस में इन्होंने बहुत देर की । हालांकी दो तीन वर्ष पहले मंत्री जी कहते थे कि हजार का नम्बर आयेगा हजार के ऊपर कम्पेन्सेशन मिलेगा यह आशा दो तीन साल से लोगों को थी

मगर इन की तरफ से पेशकदमी नहीं हुई कि इस बिल को जल्दी लाते । इन्होंने मालिकों को मौका दिया कि कम वेजेज दे कर वह जितना कमाना चाहें कमाये । वर्किंग क्लास के इन्टरेस्ट को इन्होंने नहीं देखा है वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया और आज उस का प्रायश्चित कर रहे हैं ।

मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है दो तीन बातें कहनी है । एक वह है कि 1 000 रु० का ठीक किया है । बेसिस क्या दिया है ? ई० एस० आई० ने किया वहां भी कोई बेसिस नहीं जब मालूम है आप को कि बोनस कमीशन ने 1,600 रु० फिक्स किया है उस की डेफीनीशन भी ी है । मगर इन्होंने 1,600 के बारे में बोनस कमीशन की उस डेफीनीशन को नहीं मान कर 1,000 किया है । अभी रेफरेंस दे रहे हैं ई० एस०आई० और प्रोवीडेंट फंड का कि ऐसा हुआ है मगर बोनस कमीशन की सिफारिश के बारें में यह चुप हैं । इस का क्या कारण है यह मंत्री जी बतायें ।

दूसरी बात यह है कि यह जो कम्पेन्सेशन ऐक्ट हैं इस में दिक्कतें हो रही हैं । सवाल यह है कि जो तनख्वाहें अभी हैं यह 1,000 अभी से नही है बल्कि कई साल से तनख्वाहें बढ़ गई है डी० ए० बढ़ा है इमेटिब्ज बढ़े हैं । बढ़ने के बाद कम से कम 1,000 रु० के करीब ज्यादा आदमी पाते थे । मगर वह सब डेप्राइव हो गये । वह जब भी कम्पेन्सशन के लिये जाते थे तो 500 से नीचे ही मिलता था और मालिक इस तरह से बच जाते थे । इन को क्या यह मालूम था कि तनख्वाहें बढ़ गई हैं ? इन्होंने वेजेज ठीक किये हैं बहुत सी कानफरेंसेज हुई है जहां पर वेज स्ट्रक्चर ठीक हुआ है, डी० ए० ठीक हुआ है । इन का शिमले में ब्यूरो है जो डी० ए० का इंडेक्स ठीक करता है । इन्सेंटिव के बारे में भी मालूम था कि तनख्वाहें बढ़ गई हैं । मगर नहीं लाये । इन्होंने वर्कर्स के इंटरेस्ट को नहीं देखा इस मिनिस्ट्री पर यह हमारा चार्ज है । आज लाये हैं ।

जो सीमैन है और 6 महीने काम करते है, और 2 वर्ष बैठना पड़ता है उन को 1,000, 1,200 और 1,400 रु० तनख्वाह मिलती है जब वह बाहर जाते हैं । तो लाखों आदमी डेप्राइज हो गये । जब कम्पेन्सेशन कोर्ट में दरख्वास्त करने गये कि मर गया है तो बोले कि तुम 500 रु० के ऊपर हो इसलिये कुछ नही मिलेगा और नतीजा यह हुआ कि उन के सब केसेज रिजेक्ट हो गये । आज एक भी सीमैन को प्रोटेक्ट नही कर सकते । अगर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तो सिवील कोर्ट में जाना पड़ता था और वहां भी डिसीजन यही होता था कि इन की तनख्वाह यह है, इन को कम्पेन्सेशन उतना ही मिलना चाहिये जितना 500 रु० के मुताबिक मिलता है । कम्पनियां बच जाती हैं और जजमेंट भी ऐसे ही होते हैं । इस तरह से एक सैक्शन लोगों का हमेशा डिपराइव रहा है । आज भी यहां पर फैक्टरियों का नाम लिया गया, इंजीनियरिंग का नाम लिया गया और दूसरे नाम लिये गये लेकिन सीमैन के बारे में कुछ नहीं कहा गया । जो इन्जर्ड हो जाते हैं, मर जाते है उन के बारे मे कोई जिक्र नहीं किया गया है स्टेटमेंट करते वक्त और इस के लिए मुझे बहुत अफसोस मालूम होता है । हमारे देश के हजारों सीमैन बाहर जाते हैं और काम करते हैं उन का आपने जिक्र नहीं किया । आज हमारी शिपिंग कम्पनियों का कितना टनेज बढ़ा है और आगे कितना बढ़ेगा, यह आप देखें । शिपिंग कारपोरेशन के पास 112 या 115 जहाज है और उन में हजारों आदमी काम करते है । उन का आप ने जिक्र नहीं किया है और आप यह कम्पेंसेशन का विधेयक लाए है । उन के बारे मे आप को क्लियर-कट बोलना पड़ेगा । अब तक वे डेपराइव हुए हैं । इसलिये उन का भी आपको जिक्र करना चाहिये था ताकि वे अपनी कम्पनी से दरख्वास्त कर सकें कि क्योंकि अब 1,000 रुपये तक के लिये यह हो गया है, हमें भी कम्पेंसेशन मिलना चाहिए । अब तक तो उन का केस रिजेक्ट होता रहा है इस ग्राउन्ड पर कि उन को

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

500 रुपये से ज्यादा मिलता है। अब 1,000 रुपये का कानून हो गया है, इसलिये उन को भी फायदा मिलना चाहिए। उन में से बहुत से पर्मानेन्टली डिस्एबिल्ड हो गये हैं, पैर टूट गये हैं, हाथ टूट गये हैं और आकूपेशनल डीजीज उनको हो गई है और हजारों मर गये हैं, इसलिये ऐसे लोगों का भी जिक्र होना चाहिए। मिनिस्टर महोदय इस चीज का साफ तौर से जवाब दें।

दूसरी बात यह है कि कम्पेंसेशन लेने के लिए आज जो प्रोसीजर है, उस को सिम्पुल करना होगा। आज जितने वर्कर्स फैक्टरियों में काम करते है वे सब डेपराइव होते रहे हैं उन को मालूम नहीं कि कितना कम्पेंसेशन उन को मिल सकता है। एक सैक्शन तैयार हो गया है, एक वैस्टेड इन्ट्रेस्ट तैयार हो गया है जो तमाम केस देख कर कहता है कि हम तुम को 4 हजार रुपया दिलवाएंगे अगर तुम हम को 1500 रुपया दो। इस तरह से वे कान्ट्रेक्ट कर लेते हैं।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL: He do not want a wrong impression to be spread. I would like to point out that under the existing Act, seamen are covered.

SHRI MOHAMMAD ISMAIL. He has not mentioned it in the statement. That is why I referred to seamen.

कम्पेन्सेशन लेने का जो प्रोसीजर है; उसको सिम्पल करना पड़ेगा। आज एम्पलायर जो है उसको यह फैसेलिटी है कि जो उनका पैसा होना है वह इन्सटालमेंट में कोर्ट में जमा करें। एक आदमी को इस तरह से पैसा लेने में तीन-तीन वर्ष लग जाते है और मालिक पैसा जमा नहीं कराते हैं। बड़े मालिक तो पैसा दे देते हैं लेकिन छोटे मालिक नहीं देते हैं और इन्सटालमेंट होने के बाद भी पैसा मिलने में दो, तीन वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से उसको कम्पेंसेशन लेने के लिए तीन वर्ष, चार वर्ष तक लटकना पड़ता है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि इस कम्पेन्सेशन एक्ट को कौम्प्रीहेंसिव बनाना चाहिए और इन सब चीजों को इन्क्लूड कर के सिम्पलीफाई करना चाहिए जिससे वर्कर्स आसानी से इसको समझ सकें और उन को पैसा मिल सके। इम्पलायर्स को जो पैसा इंस्टालमेंट्स में जमा कराने की फैसेलिटी है, इस पर रोक लगनी चाहिए और कानून के मुताबिक यह नहीं होनी चाहिए।

सिविल कोर्ट मे जो सीमैन को जाना होता है, उसमें आप को यह करना चाहिए कि जो डिफीकल्टीज हैं उनको दूर किया जाए और कम्पेंसेशन का जो मेन एक्ट है, उसको रिवाइज किया जाए और सिम्पल बनाया जाए। सिर्फ एमेंडमेंट लाने से काम नहीं चलेगा। आप जो एमेंडमेंट लाए हैं और जो चेंजेज को ठीक किया है, उस का आधार मेरी समझ में नहीं आता है। किस बेसिस पर आप ने यह किया है यह पता नहीं है। जो ओल्ड फार्मूला है, उसी के मुताबिक आप ने चार्ज बनाया है या कोई चेन्जेज लाए है या नहीं, इस के बारे मे आपको बोलना पड़ेगा। यह जो आपने चार्ट बनाया है, इसका बेसिस क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से, किस बेसिस पर आपने इसको बनाया है? यह जो आपने इसे ठीक किया है, इसका बेसिस वही पुराना है, वैसे ही यह कन्टीन्यू करता चला आ रहा है, या इसने आपने चेंजिज किये हैं, या चेंजिज आप लाना चाहते हैं। यह आपको बताना होगा।

यह चीज भी आपको साफ करनी होगी की यह जो कम्पलसरी डिपाजिट मे पैसा जमा है, तनख्वाह बढ़ती है वह भी जमा डियरनेस अलाऊंस बढ़ता होगा, वह भी जमा, यह अब मिलना शुरू होगा तो हजार, नौ सौ रुपया हो जायेगा, तो यह जो कम्पेन्सेशन दिया जायेगा उसमें यह कम्पलसरी डिपाजिट इंक्लूड करके

दिया जायगा या नहीं या लास्ट पे के आधार पर मिलेगा ? ऐसे रूल्स होने चाहिएं जिसके मुताबिक यह कम्पलसरी डिपाजिट को भी इंक्लुड किया जाय। ऐसा न हो कि इसको छोड़ दिया जाय। यह जो कंपमुजन है, इसको आपको क्लीयर करना होगा।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह चाहता हूं कि आप इन बातों को साफ कर जल्दी से जल्दी इसे पास करें।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : (जमशेदपुर) सभापति महोदय, यह बिल जो लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह 1923 के बाद 11 बार अमेंड हुआ है और यह बारहवी बार अमेंड हो रहा है। मैं इसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा और मेरा ख्याल है कि आपको इसको फिर अमेंड करना पड़ेगा।

मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में इसे वर्कमेंस कम्पेन्सेशन अमेंडमेंट बिल कहा है लेकिन आजकल तो वीमेन भी वर्कमेन है। यह जो वर्कमेन कम्पेन्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है इसके अन्दर मेरा सुझाव है कि इसमें आप वीमेन को भी शामिल करें।

SHRI RAGHUNATH REDDY: It includes women also.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : यह मेरा सुझाव था। अगर यह आप मान सकें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है।

आपने जो इस बिल में शेड्यूल चार रखा है उसमें डेथ पर तीस हजार रुपए का कम्पेन्सेशन रखा है इसे बढ़ाकर आप पचास हजार कर दें तो ठीक होगा। रेलवे में भी किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती है तो उसे भी कम से कम पचास हजार रुपया मिलता है। इस लिए यहां भी आपको पचास हजार रुपया करना चाहिए। परमानेंट डिसएबलमेंट पर मैक्सिमम कम्पेन्सेशन आपने 42 हजार रुपए का रखा है। मेरे ख्याल में यह भी कम है। डिसेबल होने पर सारी जिंदगी आदमी रोता रहता है। उसका कोई इलाज नहीं है। इसको भी आप एक लाख कर दें तो ठीक होगा।

छोटी फैक्ट्रियों मे, प्राइवेट सेक्टर के कारखानों में जो लोग पीस वर्क करते है उनके बारे में भी आप सोचें। प्राइवेट कम्पनीज वाले कई दफा उन से काम करा कर उन्हें बिना कम्पेन्सेशन दिये छोड देते है। अफसरों से मिल मिला कर वह इससे बच निकलते हैं। मेरी नालिज में है कि इन पीस वर्कर्स को जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको कई जगह पर कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है। तो इसको भी आप देखें।

चौथी बात यह है कि आपने जो इसमें लिमिट रखी है, उस के बारे में मेरा कहना है यह कि एम्प्लायर्स लोग यह कोशिश करते हैं कि किसी के नोटिस को, किसी के टाइम को जानबूझ कर आगे पीछे कर देते हैं जिससे कि उन्हें कम्पेन्शेशन न देना पड़े। बहुत से केसिज में ऐसा हुआ है। यह भी आपको देखना है।

एक चीज मैं आप से और कहना चाहता हूं। इस बिल में एक चीज और लानी चाहिए थी। जैसे कई दफ़ा झंझट पड़ जाता है कम्पेन्सेशन के मामले में, ये जो मोहम्मडन वर्कर्स हैं, उनकी फ़ैमिलीज बडी होती हैं, किसी के दो बीबी होती है, किसी के चार होती है। किसी की दो और किसी की चार बीबियां होती है। अब कम्पेन्सेशन का सवाल आता हैं तो उस वक्त उन को यह राशि मिलने में बडी दिक्कत होती है। सभी क्लेम करने लग जाती हैं। कई बीस साल के बाद अगर कहीं उनकी भी डैथ हो जाए तो कम्पेन्सेशन किसी को मिलता

[सरदार स्वर्ण सिंह सोढी]

नहीं है । इस तरह की मिसालें जमशेदपुर में मेरे नालेज में आई हैं। इस को भी आप को देखना चाहिये । जिस को देना हो उसको जल्दी दे दिया जाना चाहिये । इस मे सहूलियत वाली कोई बात आपको पैदा करनी चाहिये । आवश्यक अडचनें जो हैं उनको दूर करना चाहिये ।

कम्पेंसेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है इस को भी आप बदलें । ईअरली या मंथली जो भी हिसाब है उस पर आपने कम्पसेशन का फार्मुला बेस किया है और कहा है कि उस हिसाब से दिया जाएगा । एक्सीडेंट मे कोई लेबरर मर जाता है तो क्यों नहो आप उस रेट पर उस को कम्पसेशन देते है जो तनख्वाह वह उस दिन पाता होता हैं । इस पर भी आप को विचार करना चाहिये । इससे कैलकुलेट करने में बडी आसानी हो जाएगी ।

आपको इस पर भी विचार करना चाहिये कि आदमी जब घर से निकले और जब तक घर वापिस न आ जाए , उसको ड्यूटी पर ही समझा जाए । मान लें सुबह छ बजे वह ड्यूटी पर जाता है और दिन मे दो या तीन बजे वह घर वापिस आता है, जब तक इस बीच वह घर वापिस न आ जाए उसको ड्यूटी पर समझा जाए और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसी तरह से उसको कम्पेसेशन मिले जिस तरह से जहा पर वह काम करता है वहा पर एक्सीडेंट होने पर मिलता है । इस चीज को आपको क्लीयर कर देना चाहिये ।

फर्स्ट एड पोस्टस जो है या जो डिसपैंसरीज छोटी छोटी है ये भी आपको वहा पर कम्पलसरी कर देनी चाहिये । सब जगह इस तरह की पोस्ट्स होनी चाहिये । बडी कम्पनियों में तो यह व्यवस्था रहती है लेकिन स्माल स्केल इडस्ट्रीज में भी आपको इस तरह की व्यवस्था करना अनिवार्य कर देना चाहिए । फर्स्ट एड पोस्ट अगर हो तो कई बार आदमी की जान बच सकती है । आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है । कितना भी कम्पेंसेशन आप दे दें आप आदमी वापिस नहीं दे सकते हैं । इस वास्ते हर कोशिश यह होनी चाहिये कि उसकी जान बच जाय । इसके लिए फर्स्ट एड पोस्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि घायल होने पर मरहम पट्टी तो हो सके ।

आपके जो लेबर इंस्पेक्टर्ज हैं उन को भी समय समय पर जा कर देखना चाहिये, इंस्पैक्ट करते रहना चाहिये कि कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन आदमी कानून के मुताबिक काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ।

इनश्योरेस की बहुत सी स्कीमें बन गई हैं । लेकिन जब पैसा लेना होता है तो बहुत से झगडे कर दिए जाते हैं । छोटे छोटे आबजैक्शन्ज लगा दिए जाते है । एम्प्लायर इनश्योरेस कम्पनी पर मामले को ठेल देता है और इनश्योरेस कम्पनी एम्प्लायर पर ठेल देती है । यह चीज नहीं होनी चाहिए । जो भी कम्पेसेशन हो उसको जल्दी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये । रुपया तो कमिश्नर के यहा जमा हो ही जाता है । इस वास्ते आप कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि कम्पेसेशन जल्दी जिस को मिलना है मिल जाया करे । आप अपने अफसरों और इन्पेक्टरों को हिदायत करें कि वे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करे और जा कर देखते रहा करें कि कानून के मुताबिक अमल हो रहा हैं या नहीं हो रहा है ।

फाइनेंशियल मेमोरेडम में आपने कहा है ·

It is not possible to estimate the amount of increased expenditure.

इसकी भी क्लेरिफाई करने की जरूरत है। कुछ तो एस्टीमेट आपने लगाया ही होगा। जब आप उत्तर दें तो इसकी भी सफाई करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : वर्कमैन कम्पेंसेशन संशोधन विधेयक जो अभी लाया गया है उस का मैं समर्थन करता हूं। बहुत सी बातों पर यहां रोशनी डाली जा चुकी है। उन पर चर्चा हो चुकी है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि इस तरह के बिल की बहुत पहले से आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। इस काम में सरकार ने कुछ ढिलाई की है, कुछ विलम्ब किया है।

माननीय सदस्य, श्री सोखी, ने ठीक कहा है कि इस विधेयक में बारहवीं दफ़ा संशोधन हो रहा है। इस तरह बार-बार संशोधन करने के बजाये सरकार एक और विस्तृत, काम्प्रिहेंसिव, बिल सदन के सामने क्यों नहीं पेश करती है, ताकि एक तो इस विषय पर ठीक तरह से बहस हो जाये और दूसरे, हम एक ऐसा विधेयक तैयार कर लें, जिस में बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े।

शिड्यूल 4 के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उस से बिल्कुल सहमत हूं। कारखाने में दुर्घटना के कारण मरने की स्थिति में 60 रुपये तक तन्ख्वाह पाने वाले मजदूर के परिवार को 7,200 रुपये और 1,000 रुपये तक तन्ख्वाह पाने वाले मजदूर के परिवार को 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। इन दोनों में जमीन आस्मान का फ़र्क है— तन्ख्वाहों में भी फ़र्क है और मुआवजे में भी फ़र्क है। लेकिन दोनों की जान में कोई फर्क नहीं है। कोई भिख-मंगा हो या बिड़ला अथवा टाटा हो, जान सब की बराबर है। लेकिन सरकार ने मरने के बाद मुआवजा देने में इतना बड़ा फ़र्क रखा है।

स्थायी रूप से अंग-भंग होने और किसी काम के न रहने की स्थिति में कम से कम मुआवजा 10,080 रुपये और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 42,000 रुपये रखा गया है। जैसा कि कहा गया है। सरकार ने इसी सदन में कुछ साल पहले रेल-दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे की रकम को 50,000 रुपये तक बढ़ाने की व्यवस्था की है और हवाई जहाज में मरने वालों के लिए एक लाख रुपये के मुआवजे की व्यवस्था की है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त हो कर मर जाये, तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। समझ में नहीं आता है कि सरकार ने किस आधार पर यह रकम निश्चित की है। यह सरकार समाजवाद की बात करती है। समाजवाद में सब की जान बराबर है और उस में कोई फ़र्क नहीं माना जाता है। मंत्री महोदय समाजवादी देशों के मजदूर कानूनों को देख लें। यह फ़र्क नहीं होना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस राशि को बढ़ाना चाहिए। 30,000 रुपये को बढ़ाकर कम से कम रेलवे से मिलने वाले मुआवजे के बराबर अर्थात् 50,000 रु० तक करना चाहिए और स्थायी रूप से अंग-भंग होने की स्थिति में दिये जाने वाले मुआवजे की रकम को भी 42,000 रुप

[श्री रामावतार शास्त्री]

से बढ़ाना चाहिए। मंत्री महोदय बतायें कि सरकार ने किस आधार पर यह तालिका तैयार की है और उस का भी राशनेल क्या है ।

क्या सरकार ने इस बात की भी जांच पड़ताल की है कि मज़दूरों के परिवारों को मुआवज़े की रकम समय पर मिलती है या नहीं? बहुतों को यह राशि नहीं मिलती है? वारिस प्रयास करते करते थक जाते हैं। इस भ्रष्टाचार के ज़माने में उन को मुआवज़ा भी नहीं मिल पाता है । इनश्योरेंस के सम्बन्ध में मेरा यही अनुभव है। मेरी जान-पहचान के एक व्यक्ति मर गए, लेकिन उन के वारिसों को आज तक इनश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है । इस प्रकार की दुश्वारी मुआवज़े की रकम की प्राप्ति में भी होती होगी । इसलिए सरकार को इस व्यवस्था को ठीक करने का उपाय करना चाहिये।

18 hrs.

मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए बहुत से फ़ार्म भरने पड़ते हैं और तरह तरह का पैराफ़रनेलिया होता है । सारे प्रोसीजर को इतना आसान बनाना चाहिए कि मृतक के परिवार को, अथवा जो डिसएबल्ड हो गया हो, उस को समय पर मुआवज़ा मिल सके।

आखिरी बात कहना चाहता हूं । इसी में आप ने कहा था कि हाफ मंथली आप तन्खवाह देंगे 30 रुपये से 75 तक अगर कोई अस्थायी रूप से बेकार हुआ, कुछ मामूली चोट लगी या ऐसी चोट लगी जो दो तीन महीने में ठीक हो जाय । उस रकम को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आज की महंगाई के जमाने में वह ठीक से खा पी सके। मुझे विश्वास है कि इन बातों की ओर सरकार का ध्यान जायगा । और इस नुक्ते से अगर आप ने इस विधेयक में संशोधन किया तो श्रमजिवियों को ज्याद से ज्यादा फायदा होगा । आप का मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उन को हो। तो इन बातों की तरफ आप ध्यान दें और इन्हें पूरा करने की कोशिश करें ।

**18.01 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 19, 1976/Vaisakha 29, 1898 (Saka).*

GMGIPND—M—887 L.S. (1258)